पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 मई, 2014 ई0 (ज्येष्ठ 03, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–21

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	291–293	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	225–226	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	17–32	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

16 अप्रैल, 2014 ई0

संख्या 549/XXX-1-2014-26(1)/04–उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को 'उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004' के नियम–22 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत करके नियुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पदोन्नत अधिकारी उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

1. श्रीमती अन्जूश्री जुयाल – हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. श्रीमती प्रीतू शर्मा – देहरादून।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव।

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

15 अप्रैल, 2014 ई0

संख्या 322/XXVII(6)-940-2014/2014–उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठ वेतनमा श्रेणी–2, ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 6600 में पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री आनन्द राम
2. श्री लच्छी राम आर्य

2. उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब पदोन्नत वेतनमान में कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 583/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख निजी सचिवों को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री विक्रम सिंह चौहान,

(2) श्री दर्शन सिंह,

(3) श्री पन्ना लाल शुक्ल,

(4) श्री दीप चन्द्र जोशी,

(5) श्री दान सिंह,

(6) श्री ओम प्रकाश नैथानी,

(7) श्री सुरेन्द्र कुमार,

(8) श्री लीला सिंह नेगी।

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. उपरोक्त क्रमांक 7 एवं 8 पर अंकित अधिकारियों की पदोन्नति उत्तराखण्ड सचिवालय में सेवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–10600/10601/2011 कृष्ण कुमार मदान व अन्य बनाम अशोक कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

पी0एस0 डंगवाल,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/349–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 मई, 2014 ई0 (ज्येष्ठ 03, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

09 अप्रैल, 2014 ई0

पत्रांक 106/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2014–15/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/देहरादून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय फार्म–16 जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री महिला उमंग प्रोड्यूसर क0लि0, नैनी, पो0 रानीखेत, जिला–अल्मोड़ा, टिन–05008838277	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 2039653	खोने के कारण
2.	सर्वश्री रूद्राक्ष कलैक्शन, हल्द्वानी, टिन–05009225792	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 2034010	खोने के कारण
3.	सर्वश्री बायोकैम लैबोट्रीज, रूद्रपुर, टिन–05006974616	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 1767285	खोने के कारण
4.	सर्वश्री गर्जिया कैमटैक इन्स, काशीपुर, टिन–05007110513	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 1654433	खोने के कारण

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
5.	सर्वश्री प्रभात उद्योग डी–15, देवभूमि इण्डस्ट्रीयल स्टेट, ग्राम बन्ताखेड़ी, रुड़की, टिन–05007052119	प्ररूप–XVI (03)	U.K.VAT-M2012 0590363 to 0590365	खोने के कारण
6.	सर्वश्री मैकलियोड्स, मालवीय रोड़, देहरादून, टिन–05000912407	ओ0सी0 स्टैम्प (60)	OCAAUK/2012 0036941 to 0037000	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/349–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 मई, 2014 ई0 (ज्येष्ठ 03, 1936 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद–पौड़ी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

09 मई, 2014 ई0

पत्रांक 35/उपविधि प्रकाशन/2014–15–नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, पौड़ी गढ़वाल सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–294 के तहत विभिन्न व्यवसायों पर लाईसेन्स शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 399/वी–95–204 (जनरल)/94 दिनांक–2 अक्टूबर, 1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु "व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2013" बनायी गई है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु यह उपविधि दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के 09 अक्टूबर, 2013 के अंक में प्रकाशित कराई गई थी। नियत समय–सीमा में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर नगर पंचायत बोर्ड बैठक दिनांक 27–01–2014 विशेष प्रस्ताव संख्या–17 द्वारा आपत्ति आधारहीन होने के कारण निरस्त कर एवं छूटे हुए मदों को सम्मिलित कर सर्वसम्मति से पारित करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (2) के अन्तर्गत नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा "व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2013" को शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह उपविधि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

"व्यवसायिक लाईसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2013"

1. **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–**

क–यह उपविधि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक की **"व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि– 2013"** ' कहलायेगी।

ख– यह उपविधि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग– यह उपविधि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं–**

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक से हैं।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक की सीमाओं से हैं।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक से हैं।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य **उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)** संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(छ) **"लाईसेन्स"** का तात्पर्य नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के लाईसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से है।

(ज) **"अवधि"** का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष तक के लिए दिये जाने वाले व्यवसायिक लाईसेन्स से है।

अनुसूची

क्र०सं०	मद का नाम	लाईसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक (रू०)
1	2	3
1.	होटल लाजिंग/गेस्ट हाउस/आश्रम 10 शैय्या तक	5,00.00
2.	होटल लाजिंग/गेस्ट हाउस/आश्रम 11 से 20 शैय्या तक	1,000.00
3.	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैय्या से 30 शैय्या तक	3,000.00
4.	उपरोक्त 31 शैय्या से 40 शैया तक	4,000.00
5.	उपरोक्त 41 शैय्या से 50 शैया तक	5,000.00
6.	उपरोक्त 50 शैय्या से ऊपर	6,000.00
7.	तीन सितारा होटल	8,000.00
8.	पाँच सितारा होटल	1,0000.00
9.	रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी	2,000.00
10.	रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी	1,000.00
11.	रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी	5,00.00
	परिवहन	
12.	घोड़ा तांगा	1,00.00
13.	रिक्शा किराये पर	2,00.00
14.	रिक्शा (निजी चालित)	1,00.00

15.	ठेला/ठेली	2,00.00
16.	हाथ ठेली	2,00.00
17.	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	2,00.00
18.	ट्रेक्टर ट्रॉली/छोटा हाथी	5,00.00
19.	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	5,00.00
20.	मोटर गैराज	1,000.00
21.	स्कूटर गैराज/रिपेयर शॉप	1,000.00
22.	मोटर वाहन ऐजेन्सी (सेल्स/सर्विस)	5,000.00
23.	स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया/तीन पहिया)	2,000.00
24.	साईकिल की दुकान	5,00.00
	पेट्रोलियम	
25.	पेट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	5,000.00
26.	पेट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	3,000.00
27.	जनरेटर, डीजल/पेट्रोल	1,000.00
28.	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	1,000.00
	अन्य व्यवसाय	
29.	धुलाई गृह (लॉन्ड्री)	5,00.00
30.	ड्राई क्लीनर	2,000.00
31.	फाइनेंन्स कम्पनी, चिट फन्ड	5,000.00
32.	इन्श्योरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	10,000.00
33.	फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इन्ड्रस्टियल	1,000.00
34.	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक्स सोड़ा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	1,000.00
35.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2,000.00
36.	आटा चक्की	5,00.00
37.	गूदड़ गोदाम	1,000.00
38.	कंकड़ तथा सुर्खी की भट्टी	2,000.00
39.	चूना	1,000.00
40.	ईंट का भट्टा	5,000.00
41.	साबुन फैक्ट्री	1,000.00
42.	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईंटा बालू (थोक मोरंग, मारवल, टाईल्स, सेनेट्री, हार्डवेयर)	1,000.00
43.	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	5,00.00
44.	कपड़ा, थोक विक्रेता	2,000.00
45.	कैटरिंग	1,000.00
46.	बेकरी (भट्ठी)	1,000.00
47.	बेकरी (पॉवर)	1,000.00
48.	हेयर कटिंग सैलून	5,00.00
49.	ब्यूटी पार्लर	1,000.00
50.	कुकिंग गैस एजेन्सी	1,000.00
51.	जनरल मर्चेन्ट थोक	1,000.00

52.	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	1,000.00
53.	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	5,00.00
54.	कोयला (थोक विक्रेता)	5,00.00
55.	कोयला (फुटकर विक्रेता)	2,00.00
56.	बड़ी नावें, मोटर वोट	1,000.00
57.	छोटी नावें, मोटर वोट	5,00.00
58.	पेन्ट की दुकान	5,00.00
59.	ज्वैलर्स (बड़े) 5 लाख से ऊपर टर्नओवर	2,000.00
60.	ज्वैलर्स (छोटे) 5 लाख तक टर्नओवर	1,000.00
61.	विज्ञापन ऐजेन्सी	5,000.00
62.	डेयरी (दूध, पनीर ,दही एवं दूध से बनी अन्य पदार्थ)	2,000.00
63.	भूसा (थोक विक्रेता)	1,000.00
64.	भूसा फुटकर विक्रेता	5,00.00
65.	ऑडियो/वीडियो लाईब्रेरी	5,00.00
66.	मोबाईल विक्रेता/विभिन्न मोबाईल कम्पनियों के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	5,00.00
67.	केबिल टी०वी०	1,000.00
68.	आर्किटेक्ट, कन्सलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउन्टेन्ट, फास्ट एकाउन्टेन्ट	2,000.00
69.	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (थोक विक्रेता)	5,00.00
70.	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	5,00.00
71.	आईस फैक्ट्री	5,00.00
72.	टेन्ट हाउस	2,000.00
73.	राफ्टिंग	1,000.00
74.	जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम (बड़ी दुकान)	1,000.00
75.	जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम (छोटी दुकान)	5,00.00
76.	रेडीमेड गारमेन्टस (बड़ी दुकान)	1,000.00
77.	रेडीमेड गारमेन्टस (छोटी दुकान)	5,00.00
78.	टूर एण्ड ट्रेवल्स	2,000.00
79.	योग एवं ध्यान केन्द्र	1,000.00
80.	फोटोग्राफर	5,00.00
81.	टूरिस्ट गाईड	5,00.00
82.	साईबर कैफे (नेट सेवा प्रदाता)	1,000.0
83.	मसाज केन्द्र/आयुर्वेदिक/प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	2,000.00
84.	संगीत कला केन्द्र	1,5,00.00
	दुकान	
85.	पान की दुकान	200.00
86.	चाय की दुकान	2,00.00
87.	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर)	5,00.00
88.	किताबों की थोक दुकान	5,00.00
89.	किताबों की फुटकर दुकान	2,00.00
90.	न्यूज़ पेपर	2,00.00

91.	लकड़ी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	1,000.00
92.	लकड़ी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	5,00.00
93.	टिम्बर मर्चेन्ट	3,000.00
94.	रेडियो/मैकेनिक/ टी०वी० मरम्मत	5,00.00
95.	टी०वी० शॉप/इलेक्ट्रोनिक वस्तुएँ	1,000.00
96.	फर्टिलाईजर शॉप	1,000.00
97.	मिठाई की दुकान	1,000.00
98.	चाट/बताशे की दुकान	1,000.00
99.	ड्राई फ्रूट विक्रेता (थोक विक्रेता)	1,000.00
100.	ड्राई फ्रूट विक्रेता (फुटकर विक्रेता)	500.00
101.	गैस फिलिंग प्लांट	2,000.00
102.	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	500.00
103.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2,000.00
104.	मसाले थोक विक्रेता	1,000.00
105.	फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	1,000.00
106.	फर्नीचर विक्रेता	5,00.00
107.	क्रॉकरी विक्रेता	5,00.00
108.	चूड़ी विक्रेता	5,00.00
109.	मिट्टी के तेल की दुकान	5,00.00
	पशुपालन	
110	प्रति पशु	20.00
111.	कान्जी हाउस में बन्द जानवरों में जुर्माना	5,00.00
112.	प्रतिदिन खुराक छोटे जानवरों बकरी आदि	1,00.00
113.	प्रतिदिन खुराक बड़े जानवर गाय, भैंस, घोड़ा आदि	2,00.00

3– लाईसेन्स– आवेदक द्वारा लाईसेन्स प्राप्त करने हेतू आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) खींची होनी तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं विवरण भी देना होगा।

4– प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचारोपण 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाईसेन्स दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को विभाग द्वारा दी जायेगी।

5– सूची में वर्णित व्यवसायिक लाईसेन्स 1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि के बीच व्यवसायियों द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाईसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क जो लाईसेन्स अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा, अतिरिक्त अधिभार के रूप में जमा करना होगा।

6– लाईसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

7– जांचकर्ता के जांच के समय व्यवसाय के सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने की उत्तरदायित्व व्यवसायी का होगा।

8– लाईसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपनी ऐजेन्सी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है, जो पंचायत के कर निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।

9– लाईसेन्सधारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत में अपने पुराने लाईसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा।

10–उक्त सूची में वर्णित लाईसेन्सों के नियमों का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाईसेन्स निरस्त कर सकता है। लाईसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो मु० 1,000.00 (एक हजार) रूपया तक ही हो सकता है। उपनियम का उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर अग्रेत्तर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरन्तर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है मूल्य रू० 25.00 (पच्चीस) प्रतिदिन तक हो सकता है। यह अधिकार नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक जनपद–पौड़ी गढ़वाल में अन्तिम रूप से निहित होगा।

सार्वजनिक सूचना

28 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 271/उपविधि प्रकाशन/2013–14–नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–298(2) लिस्ट जे0(डी0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक के निर्माण कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियन्त्रण के लिए "ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2013" बनायी गयी है, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु यह उपविधि दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के अंक 26 नवम्बर, 2013 में प्रकाशित कराई गई थी। नियत समय–सीमा में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर नगर पंचायत बोर्ड बैठक दिनांक 27–01–2014 विशेष प्रस्ताव संख्या–15 द्वारा निस्तारण कर सर्वसम्मति से पारित करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (2) के अन्तर्गत नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा "ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2013" को शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह उपविधि शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2013

1– परिभाषाएँ–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद पौड़ी गढ़वाल की **"ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2013"** कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।

(2) **निकाय–** निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक से हैं।

(3) **बोर्ड**– बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।

(4) **अधिनियम**– अधिनियम का तात्पर्य **उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)** संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(5) **अध्यक्ष**– अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(6) **अधिशासी अधिकारी**– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक से हैं।

(7) **पंजीकरण**– पंजीकरण का तात्पर्य नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से हैं।

(8) **ठेकेदार**– ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक में समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक व्यक्ति हो।

(9) **श्रेणी**– श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2–पंजीकरण की प्रक्रिया:–

नगर पंचायत के निर्माण कार्य (सड़क/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य) एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियां होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत सीमान्तर्गत या जनपद–पौड़ी में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण–पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो)।

(3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	15,00 लाख
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	10.00 लाख
स– तृतीय श्रेणी के लिए	2.00 लाख

(4) **प्रथम श्रेणी में** पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में रू० 2.00 करोड़ के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी०एण्ड०पी० (मिक्सचर मशीन/ बाईबरेटर /जे०सी०बी० /रोड रोलर/ प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे। यदि पंजीकरण के इच्छुक किसी व्यक्ति के पास उक्त उपकरण स्वयं के स्वामित्व के न हों तो वह

किराये पर भी उपकरण ले सकता है। अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

(5) **द्वितीय श्रेणी में** पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष मे रू० 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।

(6) **तृतीय श्रेणी में** पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा आयकर एवं व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3–जमानतः–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) अथवा किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगीं।

अ–	प्रथम श्रेणी के लिए	50,000.00
ब–	द्वितीय श्रेणी के लिए	30,000.00
स–	तृतीय श्रेणी के लिए	20,000.00

4–पंजीकरण शुल्कः–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम के कोष में जमा करनी होगी।

अ–	प्रथम श्रेणी के लिए	10,000.00
ब–	द्वितीय श्रेणी के लिए	5,000.00
स–	तृतीय श्रेणी के लिए	3,000.00

5– पंजीकरण की अवधिः–

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह अप्रैल से जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेगें। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू० 100.00 नगर पंचायत कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6– नवीनीकरण की प्रक्रियाः–

ठेकेदारों को प्रत्येक 2 वर्ष में निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगाः–

(1) नवीनीकरण की अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह रू० 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य रू० 100.00 होगा, नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण देना होगा।

(3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पंचायत कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत क अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः–

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	1000.00
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	500.00
स– तृतीय श्रेणी के लिए	300.00

(4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता हैं।

(5) नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण–पत्र/ नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिये शपथ–पत्र देना होगा।

7– निर्माण के सम्पादन की सीमाः–

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः–

(1) **प्रथम श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगे।

(2) **द्वितीय श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदार रू० 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) **तृतीय श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदार रू० 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8– निविदा प्रपत्र की लागतः–

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगाः–

कार्यों की लागत (रूपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)
अ– 50,000.00 तक	100.00
ब– 50,000.00 से 1,00,000.00 तक	200.00
स– 1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	400.00
द– 2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	500.00
य– 4,00,000.00 से 8,00,000 तक	800.00

रु– 8,00,000.00 रूपये से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र कर मूल्य प्रति 10,000.00 रूपये पर 10.00 रूपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

9– निविदा स्वीकार करने का अधिकारः–

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा, किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकि राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 6 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

10–धरोहर राशिः–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र एवं एफ०डी०आर० के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक देनी होगी।

11– ठेकेदार का भुगतानः–

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 6 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12–कार्य पूर्ण करने की अवधिः–

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना–पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भाँति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

13– पंजीकरण का निरस्तीकरणः–

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य संन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची मे डाल सकता हैं। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा।

14– जमानत जब्त करने का अधिकारः–

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध–पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा मे अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

सार्वजनिक सूचना

28 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 271/उपविधि प्रकाशन/2013–14–नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद पौड़ी गढ़वाल की सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर भवन/सम्पत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2013" बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु यह उपविधि दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के अंक 11 अक्टूबर, 2013 में प्रकाशित कराई गई थी। नियत समय–सीमा में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर नगर पंचायत बोर्ड बैठक दिनांक 27–01–2014 विशेष प्रस्ताव संख्या–16 द्वारा आधारहीन होने के कारण निरस्त कर सर्वसम्मति से पारित करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (2) के अन्तर्गत नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2013" को शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह उपविधि शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2013

1–संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः–

(क) यह उपविधि नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक **"सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2013"** कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाऐं

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में –

(क) **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक से है।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक की सीमा से है।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक के निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड़) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) से है।

(छ) **"वार्षिक मूल्यांकन"** का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–140 व धारा–141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।

(ज) **"सम्पत्ति/भवनकर"** का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(झ) **"समिति"** का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(प) **"भवन एवं भूमि"** का तात्पर्य नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।

(फ) **"स्वामी"** का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से है।

(ब) **"अध्यासी"** का तात्पर्य नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्तियों से है।

3– वार्षिक मूल्यांकन– नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–141 (2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हों, या न हो अथवा संस्था/ऐजेन्सी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/ऐजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिये किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टशनों, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो.नि.वि. के प्रचलित सैडूयल रेट और उससे अनुलगन भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम–1899 के प्रयोजन के लिये कलैक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के आधार पर नियत किया गया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किये जायें।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात) जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिये कलेक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हों, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त विधि से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे समयपूर्ण प्रतीत हों वार्षिक मूल्य नियत कर सकती हैं।

1– वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

(i) कक्ष– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,
(ii) आछादित बरामदा– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,
(iii) बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह– आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,
(iv) गैराज– आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,
(v) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आछादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

2– उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम–1972 के प्रयोजन के लिये किसी भवन का मानक किराया, या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

3– सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4– भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर– भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत सम्पत्ति/भवन कर लिया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।

(क) मन्दिर, गुरूद्वारा, मस्जिद अथव दूसरे धार्मिक संस्थाऐं जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं हांगे।

(ख) अनाथालाय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की सस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हों।

(ग) नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक की समस्त सम्पत्तियाँ।

5– कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन– भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिये नगर पंचायत कार्यालय में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृह कर का निर्धारण किया जा चुका हैं, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वांमी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम सं० देते हुये आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6– आपत्तियों का निस्तारण– भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारी द्वार निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(i) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी,

(ii) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी,

(iii) शासनादेश सं० 2054/नौ–9–97–79ज/97 दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार की जायेगी।

7– कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा– (क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जायेगी,

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिये सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,

(घ) कर निर्धारण सूचीयों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवन कर माँग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुये नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

8– कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की ऐसेसमेंन्ट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन–पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जावेगा अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

9– जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 143 (3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रद्द न कर दे।

10– (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर यह कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जावे तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष को अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा।

11– (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेगें।

(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1877 ई० के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।

12– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–151 (2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिये भवन का स्वामी जिसमें कई किरायेदार रहते हो, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर एक भाग का वार्षिक

मूल्य अलग अलग एक नोट में दर्ज किया जावे और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है, या किराये के नब्बे (90) दिन या इससे अधिक समय के लिये किसी साल मे खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जावे जो कि उक्त एक्ट की धारा 151 (1) के अधीन वापस या माफ किया जाता यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होता।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लघंन करने के लिये अर्थदण्ड रू० 1,000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्व हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रू० 1,00.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

राजेश पुरी,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक,
पौड़ी गढ़वाल।

शकुन्तला देवी राजपूत,

अध्यक्ष,
नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक,
पौड़ी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/349–भाग 8–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।